

प्रेस नोट दिनांक-17.09.2020

(1). आज दिनांक-17.09.2020 को श्री शेषमणि पाण्डेय जिलाधिकारी चित्रकूट एवं श्री अंकित मित्तल पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा पितृ मोक्षनी अमावस्या मेला के दृष्टिगत बेड़ी पुलिया तिराहा बैरियर डियूटी को चेक किया गया। डियूटी में लगे पुलिस कर्मियों से कोविड-19 के दृष्टिगत मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को समझा-बुझाकर वापस करने हेतु बताया गया।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के कुशल निर्देशन में श्री जयशंकर सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी तथा उनकी टीम द्वारा भैरोपांगा डॉट पुल के पास से 03 वाहन चोरों को 04 अदद चोरी की मोटरसाइकिल एवं 03 अदद चोरी किये गये मोबाइल फोन एवं मोटरसाइकिल चोरी की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल अपाचे के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों का विवरण एवं बरामदगी:-

(1). राजेश यादव उर्फ थोपू पुत्र विजय यादव निवासी पुरानी बाजार कर्वी के कब्जे से 01 अदद मोबाइल रेडमी स्लेटी रंग व 01 अदद मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स UP96C 0472

(2) प्रवीण उर्फ पारस पुत्र प्रेमशंकर निवासी भभेट थाना राजापुर हाल निवास मुलायमनगर कर्वी जनपद चित्रकूट के कब्जे से 01 अदद मोबाइल एमआई काले रंग का व 01 अदद मोटरसाइकिल i SMART लाल रंग UP96 K 5609

(3) दुर्गेश पाण्डेय उर्फ चालू पुत्र कृष्णकान्त पाण्डेय निवासी खोह थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 01 अदद मोबाइल एमआई काले रंग की व 01 अदद मोटरसाइकिल हीरो होण्डा सुपर स्पलेण्डर स्लेटी रंग UP96 B 0148

(4) 01 अदद मोटरसाइकिल होण्डा ड्रीम योगा नं0 UP96 F 7594

(5) 01 अदद मोटरसाइकिल अपाचे नं0- UP96 D 4141

भागे हुए अभियुक्तों का विवरण:-

1. अभियुक्त रवी पाण्डेय उर्फ आकाश पाण्डेय पुत्र रघुनन्दन निवासी जदुवा थाना सेमरिया जनपद रीवा म0प्र0
2. अभियुक्त शुभम तिवारी पुत्र राजू तिवारी निवासी बकटा बुजुर्ग थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट
3. अभियुक्त निर्मल रैकवार निवासी चिल्ली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट
4. अभियुक्त विजय बहादुर पटेल निवासी छिपनी थाना राजापुर जनपद चित्रकूट

पूछताछ पर गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोगों का एक गैंग है जिसका सरगना रवि पाण्डेय है हम लोग मोटरसाइकिलें एवं मोबाइल चोरी करके मध्य प्रदेश में ले जाकर बेच देते हैं। आज भी चोरी की मोटरसाइकिलें नम्बर प्लेट बदलकर बेचने के लिए ले जा रहे थे। जिसमें से अभियुक्त रवि पाण्डेय, शुभम तिवारी, निर्मल रैकवार एवं विजय बहादुर मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए हैं। जिसमें से एक मोटरसाइकिल होण्डा ड्रीम योगा नं0 UP96 F 7594 चोरी की है तथा दूसरी मोटरसाइकिल अपाचे नं0- UP96 D 4141 रवि पाण्डेय की है जिसका नम्बर प्लेट बदलकर मोटरसाइकिल चोरी की घटना करते हैं। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 486/2020 धारा 41/411/413/467/468/471 भादवि0 पंजीकृत किया गया।

बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. श्री जयशंकर सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी
2. उ0नि0 श्री राजीव कुमार
3. उ0नि0 श्री शिशिर कुमार सिंह

4. उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह
5. उ0नि0 श्री आनन्द कुमार मिश्रा
6. आरक्षी जितेन्द्र कुमार सर्विलांस सेल
7. आरक्षी रोहित सिंह सर्विलांस सेल
8. आरक्षी सर्वेश मौर्या
9. आरक्षी अंशू प्रताप सिंह
10. आरक्षी सतीश यादव
11. आरक्षी प्रवीण कुमार राय

(3). पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन में अवैध शराब निर्माण व बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राजकपूर यादव तथा उनकी टीम द्वारा लूप लाइन चौराहा से अभियुक्त राकेश सोनकर पुत्र बिन्दा निवासी माधौगंज कस्बा राजापुर जनपद चित्रकूट को 20 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में मु0अ0सं0 179/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

बरामदगी-

20 क्वार्टर अवैध देशी शराब

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री राजकपूर यादव थाना राजापुर
2. आरक्षी अखिलेश कुमार

(4). पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पीआरवी-4412 के कर्मचारियों द्वारा ड्यूटी के दौरान सजग रहकर दुकान में लगी आग को तत्परता दिखाते हुये बुझाकर बड़ी दुर्घटना होने से बचाया गया।

उल्लेखनीय है कि पीआरवी-4412 अपने निर्धारित प्वाइंट पर जा रही थी कि बल्दाउगंज कर्वी में ज्वैलर्स की दुकान में आग लगने की सम्भावना व्यक्त हुयी जिसका स्वयं पीआरवी कर्मियों द्वारा संज्ञान लेकर दुकानदार दुर्गेश सोनी पुत्र रामप्रसाद सोनी निवासी बल्दाउगंज थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को फोन से सम्पर्क न होने पर आस-पास के लोगों को जगाया गया एवं दुकानदार को घर बुलवाकर दुकान खुलवाकर आग पर काबू पाया गया।

पीआरवी टीम-

1. आरक्षी रामकिशन
2. हो0गा0 फूलचन्द्र

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के कुशल निर्देशन में मादक पदार्थों की बिक्री एवं तस्करी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री के0के0 मिश्रा प्रभारी निरीक्षक के मार्गदर्शन में वरि0उ0नि0 श्री अशोक कुमार निगम थाना मानिकपुर तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त रामसिंह सेंगर पुत्र हरिगोपाल निवासी ऊंचाडीह थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को ग्राम ऊंचाडीह से 800 ग्राम हरा गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 118/2020 धारा 08/20 N.D.P.S. एक्ट पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

800 ग्राम हरा गांजा

बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. वरि0उ0नि0 श्री अशोक कुमार निगम थाना मानिकपुर
2. आरक्षी सतीश कुमार
3. आरक्षी अरविन्द कुमार मौर्या